# इस्लामी शादी
# जायदाद का हक

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

# इस्लामी शादी

प्रकाशक :

**'न्याय सदन'**
**झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार**
डोरण्डा, राँची

# इस्लामी शादी का कानून

दुनिया के सारे मुसलमानों की शादियाँ इस्लामी कानून के तहत होती हैं। इस्लामी कानून अलग–अलग हिस्सों में बंटा हुआ है – यानि सुन्नी मुसलमानों के लिए हनफी कानून है, और शिया मुसलमानों के लिए इस्नाअशरी कानून है।

## कौन इस्लामी कानून के तहत निकाह कर सकते हैं ?

जी हाँ! सिर्फ मुसलमान ही इस्लामी कानून के तहत शादी कर सकते हैं।

## इस्लामी निकाह कैसे रचाया जाता है ?

❖ इस्लामी शरा के मुताबिक *पहले निकाह का पैगाम लड़के की तरफ से दिया जाता है। इस पैगाम को लड़की कुबूल करती है या इन्कार करती है। अगर पैगाम कुबूल किया गया तो इस पैगाम के देने और कुबूल करने को निकाह कहते हैं।*

निकाह के लिए मौलवी और गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है।

- *निकाह जुबानी भी हो सकता है।*
- *निकाह मौलवी करवाता है जो गवाहों के सामने होता है।*
- *मौलवी के पास एक शादी की किताब होती है जिस पर मौलवी निकाह दर्ज कराते हैं।* इस किताब पर दुल्हा–दुल्हन दोनों के दस्तखत भी होने चाहियें।
- *निकाह की रजामन्दी अगर लिखित में हो तो उसे 'निकाहनामा' कहते हैं। दोनों को निकाहनामा पर दस्तखत करने होंगे।*
- *निकाह के समय दूल्हा दूल्हन को एक रकम देता है। इस रकम को मेहर कहते हैं। यह मेहर की रकम 'निकाहनामा' में भी लिखी जाती है।*
- *निकाह का पंजीकरण जरूरी नहीं होता है। लेकिन बेहतर होता है अगर पंजीकरण की लिखा–पढ़ी पूरी हो। वह इसलिए कभी शौहर–बीवी के झगड़े के वक्त अदालत में जाने की नौबत आई तो यह साबित नहीं करना पड़ता है कि शादी हो चुकी है।*

**क्या निकाह पर गवाहों की मौजूदगी जरूरी है ?**

*सुन्नी मुसलमानों के निकाह में गवाह की मौजूदगी जरूरी* है। दो पुरूष गवाह जरूरी हैं। अगर दो पुरूष ना हों, तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बन सकती हैं। *शिया मुसलमानों के निकाह*

*में गवाहों की मौजूदगी जरूरी नहीं है।*

**शादी तीन तरह की होती हैं, सही, बातिल और फासिद**

❖ **सही यानि जायज शादी** : शादी जायज तब होती है जब इस्लामी शादी के सारे शराए पूरे किए गए हों। जैसे निकाह, गवाह, मौलवी और बाकी सब शर्ते। यह सबसे सही किस्म की शादी है और यह कानूनी तौर पर जायज मानी जाती है। यह पति–पत्नी का समाज में संबंध बताती है।

❖ **बातिल यानी नाजायज शादी** : यह वह शादी है जिसमें कोई जरूरी इस्लामी शरा पूरी ना हुई हो। ऐसी शादी कानूनी तौर से नाजायज है। मिसाल के तौर पर अगर दूल्हा और दुल्हन का कोई करीबी रिश्ता हो तो वह शादी जायज शादी नहीं है।

*अब्दुल्ल ने अपनी भांजी रेहाना से शादी की। निकाह जायज तरीके से हुआ, मेहर की रकम, गवाह सब पूरी तरह से किया गया। क्या ऐसी शादी जायज है ?*

नहीं यह शादी जायज नहीं है क्योंकि रेहाना और अब्दुल्ल का खून का सगा रिश्ता है यानि अब्दुल्ल रेहाना के सगे मामू हैं। ऐसी शादी कभी जायज नहीं हो सकती।

❖ **फासिद** : यानि वह शादी जिसमें किसी इस्लामी शरा की

कमी हो लेकिन बाद में वह कमी पूरी की जाए। कमी पूरी कर देने पर शादी को जायज करार दिया जाता है। जैसे अगर सुन्नी मुसलमान मर्द किसी बुत परस्त लड़की से शादी करे तो वह शादी नाजायज है। अगर बाद में लड़की मुसलमान बन जाए तो शादी जायज हो जाती है।

*परवीन बेवा हो जाती है और इद्दत का वक्त पूरा होने से पहले वह बाबर से निकाह कर लेती है। इस्लामी कानून के हिसाब से एक बेवा दोबारा शादी तब ही कर सकती है जब उसके इद्दत का वक्त पूरा हो जाता है जो तीन माहवारी का होता है। परवीन को मेहर तब ही मिलेगा अगर यह साबित हो जाए की परवीन और बाबर की शादी–शुदा सम्बन्ध रहा हो। अगर ऐसी शादी से बच्चे पैदा हों तो वह जायज औलाद माने जाएंगे।*

शियाओं में यह तीसरी किस्म की शादी नहीं मानी जाती है सिर्फ जायज और नाजायज शादी मानी जाती है।

**क्या गैर मुसलमानों से शादी करना जायज है ?**

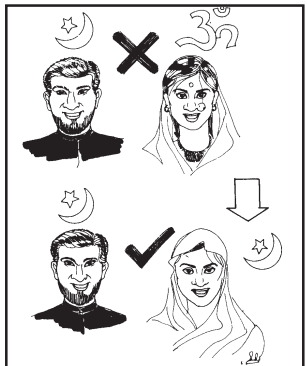

मुसलमान मर्द और बुत परस्त औरत की शादी जायज़ तभी है जब औरत मुसलमान बन जाये।

❖ *सिर्फ सुन्नी मुसलमान मर्द गैर–मुसलमान यानि किताबिया लड़की से शादी कर सकता है।* जैसे ईसाई या यहूदी। किताबी यानि जो खुदा की किसी किताब

को मानते हैं। किसी भी सूरत में बुत परस्त से मुसलमान की शादी जायज नहीं है जब तक कि बुत परस्त अपना मजहब बदल कर मुसलमान ना बन जाए।

- *शियाओं में किताबिया औरत से सिर्फ मुता शादी हो सकती है।*
- *सुन्नी या शिया मुसलमान लड़की किसी भी गैर मुसलमान से शादी नहीं कर सकती हैं।*

## मुसलमान शादी की क्या–क्या शर्तें हैं ?

कुछ जरूरी शर्तें जो मुसलमान विवाह के लिए जरूरी हैं अगर ये शर्तें नहीं मानी जाऐं तो शादी जायज नहीं मानी जाएगी। ये शर्तें हैं :–

- दोनों का मुसलमान होना जरूरी है।
- एक शादी का पैगाम होना चाहिए जो दूसरे पक्ष को कबूल करना चाहिए। पैगाम कबूल होने पर शादी का राजीनामा हो जाता है। अगर दूल्हा और दुल्हन बालिग (18 वर्ष से ज्यादा) हों तो पैगाम दूल्हा रखता है और दुल्हन हामी भरती है। नाबालिग की शादी उनके गार्जियन करते हैं।

*कृष्णा ने हनीफ से निकाह किया। यह एक जायज निकाह नहीं है। वे एक दूसरे कानून के तहत शादी कर सकते हैं, जिसे* **विशेष विवाह अधिनियम, 1954** *कहते हैं।*

❖ इस्लामी कानून के तहत दुल्हा और दुल्हन की उम्र कम से कम 15 साल की होनी चाहिए।

*वाहीद और अजरा की शादी हुई। शादी के वक्त वाहीद 18 साल का और अजरा 16 साल की थी। क्या यह शादी जायज है?*

दुल्हा और दुल्हन दोनों मुसलमान होने चाहिएं।

**क्या वाहीद और अजरा का निकाह कानूनी तौर से जायज था ?**

हाँ, निकाह जायज था पर वाहिद को सजा मिल सकती है अगर उसने अपनी मर्जी से निकाह किया हो तो।

लेकिन देश के आम कानून के मुताबिक जो कि हर मजहब पर लागू होता है। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे पहले

शादी करना कानूनन जुर्म है। अगर शादी के मौके पर शिकायत हो जाए तो शादी करवाने वालों को सजा हो सकती है। इस कानून का नाम है – **बाल विवाह अधिनियम 2006।** अगर शादी करने वाला लड़का 18 साल से ऊपर है तो उसे भी सजा हो सकती है।

## उसे सजा क्यों मिलेगी ?

यह कानून कम उम्र में शादी करने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। इसलिए ऐसी शादी करने और करवाने वालों को सजा हो सकती है। लेकिन यह शादी जायज है जब तक शादी करनेवाला नाबालिग दुल्हा या दुल्हन कोर्ट से इसे रद्द न करवायें।

❖ यह जरूरी है कि शादी के वक्त लड़का और लड़की दोनों दिमागी तौर पर स्वस्थ होने चाहिऐं। जो इन्सान पागल हो उसकी शादी कराना कानूनन गलत है। ऐसी शादी जायज नहीं होती।

*नाजिया का निकाह सलीम के साथ उनके माँ–बाप द्वारा तय किया गया था। निकाह के बाद पता चला कि सलीम पागल है। नाजिया अपने माँ–बाप के घर आ गई और उन्होंने उसे वापिस न भेजने का फैसला किया। नाजिया के पिता एक वकील के पास गए और अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत ने यह फैसला दिया कि शुरू से ही नाजिया का निकाह नाजायज*

*था क्योंकि सलीम निकाह के वक्त भी पागल ही था। अगर सलीम निकाह के बाद पागल होता तो नाजिया अदालत में जा सकती थी और तलाक मांग सकती थी।*

❖ शौहर–बीवी की एक–दूसरे से सगी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए।

सगी रिश्तेदारी का मतलब है,

❖ खून का रिश्ता,

❖ गोद लेने का रिश्ता,

❖ शादी के जरिए रिश्ता

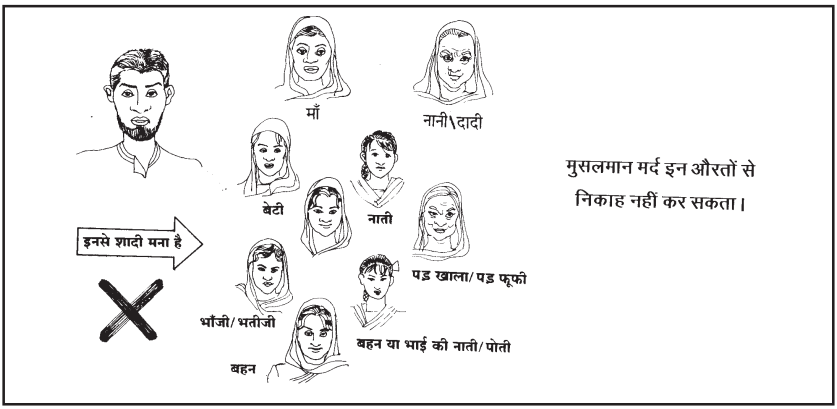


**खून का रिश्ता :**

किसी भी मुसलमान का नीचे लिखे रिश्तेदारों से शादी नहीं हो सकती है।

❖ *अपनी माँ, दादी, नानी या अपने बाप, दादा, नाना से*

- *अपनी बेटी, पोती, नवासी या अपने बेटे, पोते नवासे से*
- *अपनी भांजी, भतीजी या अपने भांजे, भतीजे से*
- *अपनी खाला, फूफी या अपने चच्चा, मामू से*
- *अपनी बहन या अपने भाई से, (सौतेले या सगे)*

**दूध का रिश्ता**

*किसी बच्चे को यदि दाई ने दूध पिलाया हो, वह दाई उस बच्चे की दूध माँ होती है। उसके बेटे को दूध भाई और बेटी को दूध बहन कहते हैं।*

- *दूध माँ का बेटा उस बच्चे का दूध भाई होता है और दूध माँ की बेटी होती है उसकी दूध बहन। क्योंकि सबने एक माँ का दूध पिया है।*
- *दूध भाई या दूध बहन से शादी नहीं होती है।*
- *दूध माँ से शादी नहीं होती है।*

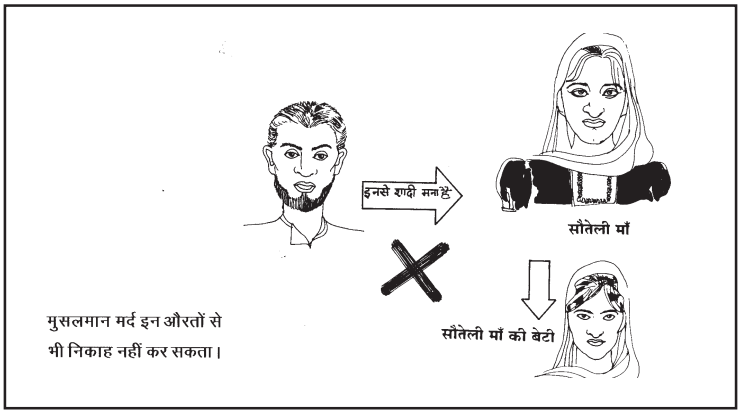

**शादी के जरिए रिश्ता :**

शादी ब्याह के जरिए जो रिश्तेदारी बनती है उन सगे रिश्तेदारों से शादी करना नाजायज है यानि :

- ❖ *अपने मियाँ या बीवी की माँ–बाप/बेटे–बेटी से,*
- ❖ *अपने माँ–बाप या बेटे–बेटी के मियाँ–बीवी से।*

ऊपर दिए हुए उसूलों के अलावा, यह उसूल भी है कि मुसलमान मर्द एक से ज्यादा शादी तब ही कर सकता है जब उसे यकीन हो कि वह अपनी सारी बीवियों से बराबर का बरताव कर पाएगा – यानि माल से और जान से। यदि मुसलमान मर्द, सरकारी नौकरी करता हो तो सरकारी नियमों के मुताबिक वह इजाजत लेकर ही एक से ज्यादा शादी कर सकता है।

कुछ आदमी केवल दूसरी शादी करने के मकसद से मुसलमान बन जाते हैं। ऐसी दूसरी शादी कानून की नजर में अपराध मानी जाएगी। पहली पत्नी के शिकायत करने पर उस आदमी को सात साल तक की कैद एवं जुर्माने की सजा हो सकती है। धर्म बदलकर दूसरी शादी करने से पहली शादी खत्म नहीं हो जाती। पहले उस आदमी को अपनी पत्नी से पुराने धर्म के मुताबिक तलाक लेना होगा। तभी वह दूसरी शादी कर सकता है।

## बाल विवाह–कानूनी अपराध

कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आता है। इसीलिए कानून में शादी करने की भी एक उम्र तय की गई है। इस उम्र से कम उम्र में हुई शादी को बाल विवाह कहते हैं।

**बाल विवाह क्या है ?**

अगर शादी करने वाली लड़की 18 साल से कम हो, या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, वह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसी शादी की कानून में मनाही है। ऐसी किसी शादी के कई कानूनी परिणाम हो सकते हैं :

- 18 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
- शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बाल हो, शादी को कोर्ट से रद्द (अमान्य या शून्य) घोषित करवा सकता है। शादी के बाद कभी भी कोर्ट में यह अर्जी दी जा सकती है, पर बालिग हो जाने के दो साल बाद नहीं।
- जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या करवाए जैसे–पंडित, मौलवी, माता–पिता, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो

सकते हैं।

- ❖ जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है, यदि बाल विवाह करवाता है – चाहे वह माता–पिता, अभिभावक या कोई और उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- ❖ जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को किसी तरह का बढ़ावा देता है, या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नहीं, जो बाल विवाह में शामिल हो या बाल विवाह की रस्मों में उपस्थित हो, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

**इस कानून में किसी महिला को जेल की सजा नहीं दी जा सकती, केवल जुर्माना हो सकता है।**

- ❖ अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- ❖ बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अर्जी उसी जिला अदालत में की जाएगी जहाँ तलाक की अर्जी दी जा सकती है।

**बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है ?**

- ❖ कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, अपने इलाके के मेट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक

मैजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। यह फौजदारी कोर्ट है जो शादी को रोकने का आदेश दे सकता है।

- ❖ जिला के कलेक्टर/डी. एम. भी बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं।
- ❖ यह जानकारी थाने में दी जा सकती है।
- ❖ रोकने के आदेश के बावजूद सम्पन्न की गई शादी शून्य होगी यानि कानून की नजर में शादी नहीं मानी जाएगी।

**बाल विवाह को रोकने के आदेश दिए जाने के बाद भी अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उसे दो साल तक की साधारण या कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।**

- ❖ किसी नाबालिग की शादी उसका अपहरण करके, उसे बहला–फुसला कर या जोर–जबरदस्ती से कहीं ले जाकर या शादी के लिए या शादी की रस्म के बहाने बेचकर या अनैतिक काम के लिए की जाए, तो ऐसी शादी भी शून्य मानी जाएगी।

सरकार द्वारा ''बाल विवाह निषेध अधिकारी'' नियुक्त किए जाएँगे जो बाल विवाह को रोकने के कदम उठाएँगे।

समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे पंचायत सदस्य, कोई अधिकारी या गैर–सरकारी संस्था के सदस्य को बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

# तलाक

एक मुसलमान मर्द बिना कोई वजह बताये और बिना अदालत में गये अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। शादी के बाद औरत के लिए भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसमें शादी को खत्म करना ही बेहतर होता है। जैसे – बुरा बर्ताव, अत्याचार, दूसरी से सम्बन्ध वगैरह। कानून में मुसलमान औरत भी कुछ हालातों में अदालत के जरिए तलाक ले सकती है।

तलाक के तीन तरीके है :–

***तलाक–ए–तफवीजः*** शौहर अपनी बीवी को तलाक देने का हक दे सकता है। यह हक शादी के वक्त, शादी के पहले, या शादी के बाद आपसी समझौते से दिया जा सकता है। इस समझौते में यह भी तय किया जा सकता है कि कोई खास घटना घटने पर बीवी शौहर की तरफ से तलाक ले सकती है।

*आसिफ और अमीना ने निकाह के पहले तय कर लिया कि आसिफ अगर 6 महीने से ज्यादा समय तक घर के बाहर रहेगा, तो अमीना तलाक ले सकती है। निकाह के एक साल बाद आसिफ 7 महीनों तक घर से बाहर रहा। अमीना ने आसिफ से तलाक ले लिया।*

ऐसे में माना जायेगा कि शौहर ने ही बीवी को तलाक दिया है। शौहर को इद्दत के दौरान बीवी को खर्चा देना पड़ेगा।

***खुल :*** इस तरह के तलाक में, बीवी और शौहर शादीशुदा जीवन

की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। तब वे आपसी मंजूरी से तलाक ले सकते हैं। इसमें बीवी को तलाक की 'कीमत' चुकानी होती है। कीमत के बदले में उसे तलाक दिया जाता है।

***अदालत के जरिये तलाक :*** मुसलमान औरत तलाक लेने के लिए मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत अदालत के जरिए अपने शौहर से तलाक ले सकती है। ऐसे तलाक के लिए औरत के पास कुछ वजह होनी चाहिये, जैसे :–

- **जहनी और जिस्मानी जुल्म :** शौहर बीवी को मारे, पीटे या किसी और ढंग से परेशान करे तो बीवी तलाक माँग सकती है। जहनी जुल्म कई तरह के हो सकते हैं, जैसेः
  - जब शौहर बदनामी की जिंदगी जीता है,
  - बीवी की जायदाद बेच दे या उस पर हक न जताने दे,
  - जब एक से ज्यादा बीवी हो तो सबको बराबरी का हक न दे,
  - शौहर बीवी से जबरदस्ती करे कि वह गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखे।

*रूख्साना की शादी खालिद से हुई। शादी के बाद रूख्साना के सास–ससुर और शौहर उसे इस बात पर बहुत तंग करने लगे कि वह ज्यादा दहेज का सामान नहीं लाई। खालिद अक्सर*

*रूख्साना को मारता और कभी–कभी खाना भी नहीं देता था। रूख्साना की सास उससे घर का सारा काम करवाती थी और साथ में खूब ताने और गालियाँ भी देती थी। जब यह सब रूख्साना की बरदाश्त के बाहर हो गया तो वह अदालत गई तलाक मांगने। अदालत ने रूख्साना की परेशानियाँ सुनकर खालिद को बुलाया और तलाक का फैसला दे दिया क्योंकि खालिद और उसके माँ–बाप रूख्साना पर बेरहमी से जिस्मानी और जहनी जुल्म करते थे।*

### ❖ शौहर के बारे में अगर चार साल से कोई खबर नहीं हो।

शौहर अगर लम्बे अरसे के लिए गायब हो जाए तब भी बीवी को तलाक मिल सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि गायब होने का अरसा कम से कम चार साल हो।

बेरहमी के बर्ताव पर तलाक मिल सकता है।

*खुरशीद का शौहर परवेज अपना गाँव छोड़ कर नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। इस अरसे में खुरशीद अपने ससुराल में रही। तीन महीने तक परवेज के खत आते रहे लेकिन फिर खत आने बिल्कुल बंद हो गए। कुछ साल बाद खुरशीद के जेठ परवेज को तलाश करने दिल्ली गए। लेकिन उन्हें परवेज की कोई खबर नहीं मिली। खुरशीद ने परवेज का पाँच साल तक इन्तजार किया, फिर उसके बाप ने उसे राय दी कि वह अदालत से तलाक ले सकती है। खुरशीद ने ऐसा ही किया और आखिर उसको अदालत ने तलाक दे दिया।*

❖ अगर शौहर बीवी को रहन–सहन का खर्चा दो साल तक न दे, तब भी बीवी को तलाक मिल सकता है।

*फहमीदा का शौहर मुकर्रम अपनी बीवी को रहन–सहन के लिए कोई खर्चा नहीं देता था। जब फहमीदा ने अपना मेहर मांगा तब भी मुकर्रम ने देने से इन्कार कर दिया। फहमीदा मुकर्रम का घर छोड़ के अपने मायके चली गई। वहाँ भी उसने मुकर्रम से रहन–सहन का खर्चा मांगा, लेकिन मुकर्रम ने कोई खर्च नहीं दिया। ऐसे तीन साल बीत गए। तब फहमीदा ने अदालत जाकर तलाक ले लिया।*

❖ अगर शौहर सात साल से ज्यादा के लिए जेल में सजा काटे तो उसकी बीवी उससे तलाक ले सकती है। तलाक तब भी मिल सकता है जबकि पक्का हो जाए कि शौहर को कम से कम सात साल की सजा हुई है।

रफत के शौहर नासिर को कत्ल के इल्जाम में दस साल की सजा हो गई। ऐसे में रफत को अदालत से तलाक मिल सकता है।

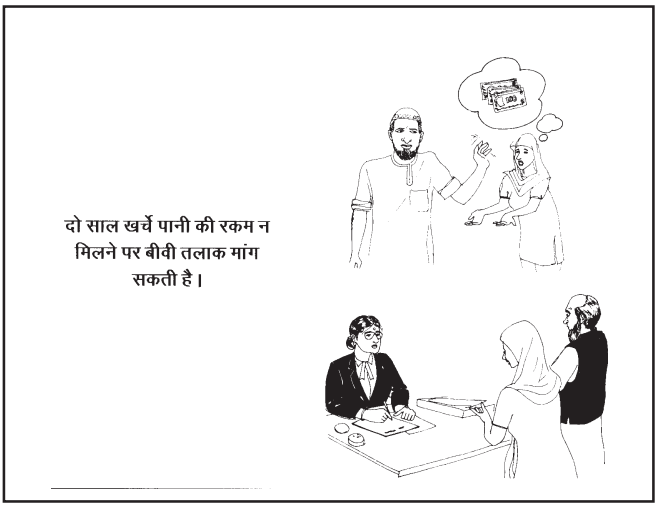


- ❖ अगर शौहर पागल हो और उसके पागलपन का दौर कम से कम दो साल का हो, तब बीवी को तलाक मिल सकता है।
- ❖ अगर शौहर जिस्मानी तौर पर शादी लायक न हो यानि वह नपुंसक हो और शादी–शुदा जिन्दगी गुजारने के लायक न हो तो बीवी को तलाक मिल सकता है।
- ❖ अगर शौहर को कोढ़ की बीमारी हो तो भी बीवी तलाक ले सकती है।
- ❖ अगर शौहर को रतिज रोग हो तो भी बीवी तलाक ले

सकती है।

- ❖ अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई हो तो वह तलाक मांग सकती है। (बड़े होन पर) लेकिन इसकी दो सूरत हैं :–

  शादी की रात मियाँ–बीवी के नाते न गुजारी हो, और

  18 साले की होने से पहले लड़की ने तलाक की अर्जी दे दी हो।

इनके अलावा बीवी इस्लामी कानून के तहत भी शादी खत्म करवा सकती है अगर :

- ❖ शौहर ने बीवी पर नाजायज सम्बन्ध रखने का झूठा इल्जाम लगाया हो तो बीवी तलाक ले सकती है।
- ❖ शौहर ने अपना धर्म बदल लिया हो तो विवाह का विघटन हो सकता है।

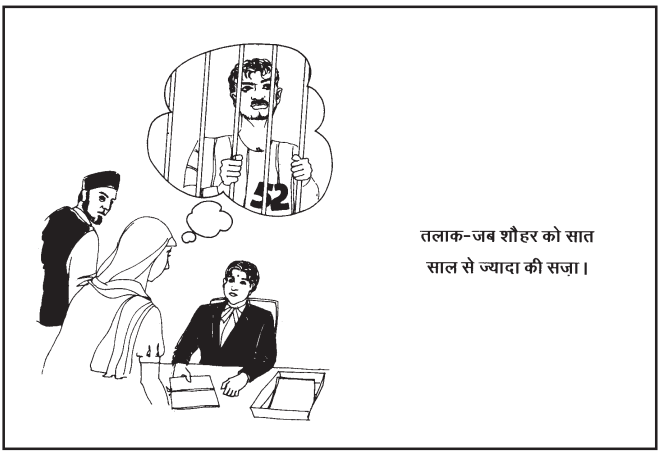

इन हालात में अगर बीवी इद्दत के दौरान दूसरी शादी कर ले तो वह शादी जायज होगी। अगर बीवी ने धर्म बदल लिया हो तो शादी तब भी मान्य और वैध होगी।

अगर बीवी अपना धर्म बदलती है तब विवाह का विघटन नहीं हो सकता है। अपना धर्म बदलने के बाद भी वो तलाक के लिए बोल सकती है उन सब पर जो **मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939** में दी गई है।

*तस्नीम का निकाह से अशरफ से हुआ। निकाह के दस साल बाद अशरफ बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। उसने तस्नीम को बताया कि वो अपना धर्म बदलना चाहता है और कुछ समय बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया।*

**धर्म के बदलाव का उनके निकाह पर क्या असर पड़ा ?**

उनके निकाह का विघटन तुरन्त उसी दिन से हो गया जब अशरफ ने इस्लाम धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया।

**अगर तस्नीम ने अपना धर्म बदला होता तो क्या होता ?**

अगर वो अपना धर्म बदलने की इच्छा रखती है तो निकाह का विघटन तुरन्त नहीं होगा।

❖ **नाजायज सम्बन्ध का झूठा इल्जाम**

अगर शौहर ने बीवी पर नाजायज सम्बन्ध का झूठा इल्जाम लगाया है तो बीवी तलाक ले सकती है।

# शादीशुदा जीवन के अधिकारों की प्रत्यास्थापना

शादी शुदा जोड़े की एक–दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर यह जिम्मेदारियाँ कोई पूरा ना करे तो दूसरा कानून की सहायता ले सकता है।

ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब शौहर बीवी को छोड़ देता है और उससे अलग रहने लगता है। *ऐसे में कानूनी तौर पर बीवी अदालत के पास जा सकती है और अदालत यह हुक्म कर सकती है कि शौहर–बीवी साथ रहें और शादी–शुदा जिन्दगी गुजारे।*

*शौहर भी इस तरह से कानूनी तौर पर बीवी को वापस बुला सकता है, अगर वह शौहर को छोड़ कर जाए।* लेकिन, अगर बीवी किसी ठोस कारण से वापस न जाना चाहे तो वह अदालत से इल्तीजा (प्रार्थना) कर सकती है।

*ये कारण हैं :*

- *शौहर का बेरहमी से बरताव करना,*
- *शौहर अगर अपनी शादी–शुदा जिन्दगी की जिम्मेदारी नहीं निभाता,*
- *शौहर ने अगर मुअज्जल मेहर न दिया हो।*

ऐसे में अदालत उसे वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करेगी।

## खर्चा

तलाक होने पर बीवी को शौहर से ये सब रकमें लेने का हक है:

- *मेहर की बकाया रकम*
- *बच्चों की देखभाल बीवी करती हो, तो बच्चों के दो साल की उम्र होने तक का खर्चा*
- *शादी के वक्त बीवी को दिये गये सभी तोहफे, चाहे किसी ने भी दिये हों*
- *इद्दत के दौरान का खर्चा*

ये सब अगर बीवी को न दिये जाएँ तो वह मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी दे सकती है। मैजिस्ट्रेट उसके शौहर को आदेश देंगे कि ये सब रकमें उसकी बीवी को अदा की जाये।

### तलाक के बाद औरत का खर्चा–पानी कैसे चलेगा ?

तलाक के बाद *'इद्दत के दौरान'* औरत का पूरा खर्चा उसके शौहर को देना होगा।

## इद्दत क्या है ?

इद्दत वह वक्त का दौर है जिसमें औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती।

यह वक्त :

- *तीन माहवारी तक का होता है*
- *औरत को माहवारी न होती हो, तो तीन महीने तक का होता है।*
- *औरत के पेट में बच्चा हो तो बच्चे के जन्म तक का होता है।*

## इद्दत के दौरान औरत को कितना खर्चा मिल सकता है ?

*औरत की जरूरतों के हिसाब से खर्चे की रकम तय होती है।*

## एक तलाक शुदा औरत को इद्दत के बाद कौन खर्चा देगा?

- शौहर को अपनी बीवी के खर्चे के पैसे, रहन–सहन और खाने का खर्चा देना चाहिए। ये सब खर्चे इद्दत के बाद तक के भी, शौहर को इद्दत के समय तक पूरे करने चाहिए।

'नफ़्का' वक्फ़ बोर्ड से भी लिया जा सकता है।

❖ खर्चा एक शौहर की जिम्मेदारी है जो उसे अपनी बीवी को देना चाहिए। ये जिम्मेदारी इद्दत के समय तक ही सीमित नहीं है।

❖ तलाकशुदा औरत जिसने दुबारा शादी नहीं की हो, जो अपनी देखभाल इद्दत के समय के बाद नहीं रख सकती हो, वो अपने रिश्तेदारों के पास सहायता के लिए जा सकती है। यह रिश्तेदार उसकी सम्पति के वारिस हों, उसकी मृत्यु के बाद इस्लामी कानून के अनुसार उसके बच्चे या माता–पिता हैं।

❖ अगर कोई रिश्तेदार तलाकशुदा औरत का खर्चा नहीं दे सकते हैं, तो मैजिस्ट्रेट, राज्य वक्फ बोर्ड को आदेश दे सकते हैं कि वक्फ बोर्ड उस औरत को खर्चा दे।

खर्चे के लिए अर्जी सिविल न्यायालय में देनी होगी। इसके अलावा या इसके साथ एक अर्जी दण्ड प्रक्रिया संहिता 125 धारा के तहत भी दी जा सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की अर्जी जल्दी तय होती है।

बीवी अपने शौहर, पिता या बेटे से रहन–सहन का खर्च मांग सकती है। जब अदालत में वो ये अर्जी देती है तो कुछ तय किए हुए रकम हर महीने अदालत देने का हुक्म देती है।

## ये अर्जी कहाँ दायर होती है ?

ये अर्जी एक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के यहाँ दायर होती है।

# बच्चों की अभिरक्षा

## तलाक के बाद बच्चों का क्या होगा ?

तलाक के बाद पति–पत्नी अलग–अलग रहते हैं। इसलिये उनके बच्चों के सिलसिले में कुछ समस्यायें उठती हैं। बच्चे किसके पास रहेंगे ? उनका खर्चा–पानी कौन उठायेगा और कब तक?

इस्लामी कानून के तहत शौहर बीवी को यह मुद्दा सुलझाने के लिए अदालत में **संरक्षक और प्रतिपालय अधिनियम 1890** के तहत अर्जी देनी चाहिए।

## कोर्ट ये फैसला कैसे करता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे?

- ❖ कुछ इस्लामी कानून के नियमों के तहत सात साल की उम्र तक के बच्चों को माँ के पास रखा जाना चाहिए। कुछ दूसरे इस्लामी नियमों के तहत बच्चे की जिम्मेदारी तब तक के लिए माँ को सौंपी जाती है जब तक बच्चा लगभग 15 साल का नहीं हो जाता।

- ❖ सभी हालातों में अदालत बच्चों का हित देखती है। सभी हालातों को देखकर, अदालत तय करती है कि बच्चा माँ या पिता के पास रहेगा।

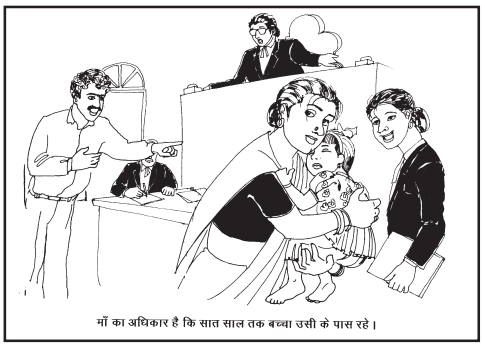

माँ का अधिकार है कि सात साल तक बच्चा उसी के पास रहे।

**बच्चे के हित का मतलब ?**

बच्चे के हित का मतलब है कि माँ या पिता में से कौन बच्चे की देखभाल बेहतर कर सकता है। इसका मतलब है बच्चे के खर्च, भावनाओं, रहन–सहन का बेहतर ख्याल कौन रख सकता है।

**अगर माँ की अपनी कोई आमदनी न हो, तो क्या बच्चा उसे नहीं दिया जायेगा ?**

ऐसी बात नहीं है। *बच्चे का हित अगर अपनी माँ के पास रहने में है, तो बच्चा माँ को ही दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो, तो भी पिता को उसका खर्चा–पानी देना होगा।*

**शौहर अक्सर अदालत से कहते हैं कि बीवी का चरित्र बुरा है इसलिये उसे बच्चा नहीं दिया जाना चाहिये। तो क्या अदालत यह बात मानकर बच्चा माँ को सौंपने से इन्कार करेगी ?**

अदालत माँ को बच्चा सौंपने से तभी इन्कार करेगी जब उसे वास्तव में जानकारी मिले कि :–

- *माँ का चरित्र बुरा है,* सिर्फ किसी स्त्री को बुरे चरित्रवाली कहने से ही उसका चरित्र बुरा नहीं माना जा सकता है। स्त्री अगर किसी पुरूष के साथ दिखाई भी दे तब भी इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उसका चरित्र बुरा है या
- *माँ किसी दिमागी रोग की मरीज है,* जिससे कि बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है।
- *कोर्ट ये जानने की कोशिश करती है कि बच्चे की खुशी किसमें है।*

## विशेष विवाह कानून

धार्मिक रीति रिवाजों से तो विवाह हो ही सकता है। परन्तु यदि कोई इन रीति रिवाजों से हटकर विवाह करना चाहता हो, तो वह क्या करे ? या फिर दो अलग–अलग धर्म के लोग, धर्म बदले बिना विवाह करना चाहते हों, तो वे विवाह कैसे करें ? ऐसी स्थितियों के लिए एक अलग कानून है जिसका नाम है **''विशेष विवाह अधिनियम, 1954''**।

**इस कानून के अनुसार विवाह कौन कर सकता है ?**

*कोई भी दो व्यक्ति इस कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाह के लिए व्यक्ति के निजी धर्म का कोई मायने नहीं।*

**आशा और अरूण हिन्दू धर्म को मानते हैं। वे दोनों विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह कर सकते हैं।**

**गोपी हिन्दू धर्म को मानता है और सलमा का मजहब इस्लाम है। वे दोनों विशेष विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।**

**जफर और सबीहा दोनों मुसलमान हैं। वे दोनों चाहें तो इस कानून के मुताबिक शादी कर सकते हैं।**

**कैथरीन और जोजफ ईसाई धर्म को मानते हैं। उनकी शादी इस कानून के मुताबिक हो सकती है।**

**रूही मुसलमान है और पीटर ईसाई है। वे दोनों इस कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।**

**राकेश एक हिन्दू है। वह एक ईसाई लड़की प्रेमा से शादी करना चाहता है। राकेश और प्रेमा भी बिना अपना अपना धर्म त्यागे इस विशेष कानून के अनुसार शादी कर**

**सकते हैं।**

जो दो व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत विवाह करना चाहते हों, उन्हें निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी :

- ❖ *दोनों में से कोई भी शादीशुदा न हो।* यानि, एक जीवित पत्नी अथवा एक जीवित पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं रचाई जा सकती। हाँ, विधवा, विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति इस कानून में शादी जरूर कर सकते हैं।
- ❖ *दोनों में से कोई भी पागलपन के कारण विवाह के लिए सहमति या रजामन्दी देने में असमर्थ न हो।*
- ❖ *दोनों में से कोई भी ऐसी दिमागी बीमारी का शिकार न हो,* जिससे कि वह शादी के लिए सहमति तो दे सके, परन्तु शादी निभाने के या परिवार बढ़ाने के काबिल न हो
- ❖ *दोनों में से किसी को असाध्य पागलपन न हो।*
- ❖ *शादी करने वाले पुरूष की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिये और महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।*
- ❖ *शादी करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिये,* जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, नानी, दादी इत्यादि। जिन लोगों से विवाह नहीं किया जा सकता, उनकी सूची इस कानून में दी गई है।

**विशेष विवाह किस तरह सम्पन्न होता है ?**

विशेष विवाह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन्हें 'विवाह अधिकारी' कहते हैं और इनका कार्यालय आमतौर पर जिला की कचहरी ('डिस्ट्रिक्ट कोर्ट') में होता है।

**विवाह किस जिले में सम्पन्न हो सकता है ?**

जिस जिले में विवाह करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति विवाह की सूचना की तारीख से पहले कम से कम 30 दिन से रह रहा हो, वहाँ विवाह हो सकता है।

इस प्रकार के विवाह के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं :

❖ *विवाह करने के इरादे की सूचना*

विवाह करने वाले व्यक्ति अपने इस इरादे की लिखित में सूचना देंगे। इस सूचना का एक फार्म मिलता है। यह फार्म भर कर, विवाह अधिकारी को देना होगा। फार्म में अपने नाम, पता, आयु, व्यवसाय, इत्यादि जरूरी सूचनाएँ लिखनी होंगी।

❖ सूचना मिलने पर, *विवाह अधिकारी अपनी किताब में यह सूचना दर्ज करेंगे फिर उस सूचना को प्रसारित करेंगे।* यानि सूचना को अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर लगायेंगे।

❖ *सूचना के प्रसारण के 30 दिन बाद ही विवाह सम्पन्न किया जायेगा।* यह 30 दिन का समय इसलिये दिया जाता है, कि कोई व्यक्ति चाहे, तो विवाह की शर्तें पूरी न होने का दावा कर सकता है। जैसे, विवाह करने वालों की उम्र 21 या 18 साल से कम है, या उनकी पहले शादी हो चुकी है, इत्यादि।

यदि ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता तो 30 दिन के बाद विवाह सम्पन्न किया जायेगा।

❖ *तीस दिनों का समय पूरा होने के बाद* प्रार्थियों को *दो महीने के अन्दर शादी करनी पड़ेगी* अथवा उन्हें नया नोटिस देकर पूरी कार्यवाही दुबारा करनी पड़ेगी।

❖ विवाह सम्पन्न होने के पहले *दोनों व्यक्तियों को एक फार्म में घोषणा करनी होगी कि वह विवाह की सब शर्तें पूरी करते हैं।* गलत घोषणा देने से सजा व जुर्माना हो सकता है।

❖ *विवाह का स्थान विवाह अधिकारी के कार्यालय में हो सकता है।* विवाह अधिकारी को अर्जी देकर और कुछ शुल्क देकर, किसी और स्थान पर या घर पर भी विवाह किया जा सकता है। विवाह के समय तीन गवाहों का होना जरूरी है। विवाह करने वाले चाहें तो किसी भी प्रकार की रस्म कर सकते हैं। परन्तु उस रस्म के साथ साथ ये शब्द कहने आवश्यक हैं ''मैं (अपना नाम), आप (पुरूष या महिला का नाम) को अपना/अपनी कानूनन पति/पत्नी मानती/मानता हूँ।''

यह शब्द बोलने के बाद विवाह सम्पन्न हो जाता है और विवाह अधिकारी इसे अपनी किताब में लिख लेते हैं। विवाह करने वाले व्यक्ति, और तीनों गवाह उस किताब में हस्ताक्षर करेंगे।

**इस प्रकार विवाह करने से क्या लाभ हो सकता है ?**

इस प्रकार के विवाह से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि :

❖ विवाह सरल तरीके से हो सकता है।

❖ विवाह सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनकी किताब में लिखा जाता है। विवाह का प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) भी मिलता है। इसलिये बाद में ऐसे विवाह को कोई भी पक्ष नकार नहीं सकता। शादी का प्रमाण पत्र शादी का पक्का सबूत होता है।

❖ दो अलग–अलग धर्मों के व्यक्ति बिना अपने धर्म बदले विवाह कर सकते हैं।

❖ विशेष विवाह कानून के अनुसार शादी करने से सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, एक ही तरह के तलाक के आधार मिलते हैं।

**विशेष विवाह कानून में कौन–कौन से तलाक के आधार मिलते हैं ?**

इस कानून में निम्न तलाक के आधार मिलते हैं :

- *व्यभिचार, या शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध जोड़ना।*
- *दो साल तक लगातार परित्याग।*
- *किसी अपराध के लिये सात साल या अधिक की सजा काटना।*
- *क्रूरता यानि शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार*
- *पागलपन या अन्य किस्म की मानसिक बीमारी*
- *छूत से होने वाले रतिरोग*
- *कोढ़*
- *सात साल तक लापता होना*
- *पति शादी के बाद बलात्कार या बदकारी का अपराधी हो।*
- *कोर्ट ने पति को खर्चा–पानी देने का आदेश दिया हो, और उस आदेश के बाद एक साल से अधिक समय से पति–पत्नी अलग रह रहे हों।*
- *आपसी समझौते से तलाक,* यानि, जहाँ पति–पत्नी दोनों मिल के अर्जी दें कि वे एक साल से ऊपर साथ नहीं रह रहे और वे दोनों शादी को खत्म करना चाहते हैं। इसमें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।

## विवाह का पंजीकरण

{आप किसी भी रस्म से, या फिर विशेष कानून से विवाह करें। फिर भी आपके विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) हो सकता है।} विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों को मिलकर, विवाह अधिकारी को एक अर्जी देनी होगी। अर्जी मिलने पर विवाह अधिकारी शादी की किताब में शादी के बारे में लिखेंगे और उसका प्रमाण–पत्र भी देगें।

शादी की रजिस्ट्रेशन से ऐसा माना जायेगा कि विवाह विशेष कानून में ही हुआ है।

विवाह का पंजीकरण विवाह के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिये :

- ❖ पति–पत्नी ने किसी भी रस्म से विवाह किया हो, और तब से वे पति–पत्नी की तरह रह रहे हों।
- ❖ दोनों में से किसी के कोई और जीवित पति या पत्नी न हों।
- ❖ पंजीकरण के समय दोनों में से कोई पागल या मानसिक रूप से दुर्बल न हो।
- ❖ दोनों व्यक्ति कम से कम 21 साल के हों।
- ❖ दोनों व्यक्ति करीबी रिश्तेदार न हों।
- ❖ दोनों व्यक्ति विवाह अधिकारी के कार्यालय के जिले में कम से कम 30 दिन से रह रहे हों।

# जायदाद का हक

## जायदाद का हक

हमारे कानून हमें यह हक देते हैं कि हम अपने लिये, अपने नाम से जायदाद खरीद सकें। आदमियों की तरह ही, औरतों को भी जायदाद का मालिक होने का हक है। कानून के अनुसार :–

- ❖ हर औरत को अपने लिये, अपने नाम से जायदाद खरीदने और रखने का अधिकार है।
- ❖ हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले। वह उन पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।
- ❖ कोई औरत अपनी जायदाद का जो चाहे कर सकती है – चाहे वह जायदाद उसे मिली हो या उसकी कमाई की हो।
- ❖ औरतों को भी यह अधिकार है कि आदमियों की तरह वे भी जायदाद खरीदें या बेचें।

औरतों को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की जायदाद का हिस्सा भी मिल सकता है। उनको किससे और कितना हिस्सा मिल सकता है यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है, वह कानून जो किसी के समुदाय पर लागू होता है।

### जायदाद में क्या–क्या चीजें शामिल हैं ?

*मीता के पिता ने उसकी शादी के समय उसे कुछ सोने की चूड़ियाँ और एक सिलाई की मशीन दी थी। वे चूड़ियाँ और सिलाई की मशीन मीता की जायदाद है।*

*अमीना एक व्यापारी के यहाँ शालों पर कढ़ाई करती है। उसे हर शाल की कढ़ाई के 50/– रूपये मिलते हैं। अमीना की यह कमाई उसकी जायदाद है।*

*जस्बीर कौर के नाना ने उसे अपना छोटा सा खेत दान में दिया। वह खेत जस्बीर कौर की जायदाद है।*

*सारा एक मिल में काम करती है। अपनी कमाई से उसने कामगार कालोनी में एक घर खरीदने का फैसला किया। उसके पति डेविड ने कहा, ''यह घर मेरे नाम से होना चाहिये क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ।'' लेकिन सारा को अपने नाम से घर लेने का पूरा अधिकार है। वह उसके लिये और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा है।*

अब हम निजी कानून में जायदाद के अधिकारों को विस्तार से देखेंगे।

## मुसलमान औरत का जायदाद पर हक

भारत में इस्लामी कानून मुसलमानों के निजी मामलों पर लागू होता है जैसे – शादी, तलाक और जायदाद। मुसलमान सुन्नी या शिया होते हैं।

### क्या शिया और सुन्नी मुसलमानों में जायदाद पर हक में कोई फर्क है ?

सुन्नी मुसलमानों पर हनफी कानून लागू होता है। इस कानून और शिया जायदाद के कानून में यह फर्क है कि हनफी कानून के मुताबिक जायदाद के वारिस सिर्फ वे रिश्तेदार हो सकते हैं जिनका रिश्ता मरे हुए इन्सान से मर्द जात के जरिए जैसे – बेटे की बेटी, बेटे का बेटा, बाप की माँ वगैरह। इससे यह समझा जाता है कि जायदाद

का वारिस वह है जिसका रिश्ता किसी औरत के जरिए न हो–यानि बेटी के बेटे का जायदाद में कोई हक नहीं होगा। शिया जायदाद के कानून के अनुसार वारिस का रिश्ता औरत के जरिए भी माना जाता है। यानि बेटी का बेटा, बेटी की बेटी, वगैरह का जायदाद में हिस्सा होगा।

**विरासत पाने के शराए**

- ❖ *सारे करीबी रिश्तेदारों का बराबर का हक है*
- ❖ *आदमी का औरत से दुगुना हिस्सा होगा*
- ❖ *अगर मरने वाले का रिश्ता किसी के जरिए हो तो जब तक वह जरिया जिन्दा है तब तक दूसरा वारिस नहीं बन सकता है*
- ❖ *करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी के दूर के रिश्तेदार का हक कट जाता है*

**याद रखें** :– औरत मेहर, खर्चा और जायदाद में वारिस बन सकती है। वारिस इनमें बनती है :–

- ❖ *बेटी के नाते*
- ❖ *बेवा के नाते*
- ❖ *दादी/नानी के नाते*
- ❖ *माँ के नाते*
- ❖ *पोती के नाते*

*जायदाद का बँटवारा और हिस्सा इन बातों पर निर्भर है कि कितने वारिस हैं और मरे हुए व्यक्ति से उनकी क्या रिश्तेदारी है।*

## बेवा

### बेवा का शौहर की जायदाद पर कितना हक है ?

अगर मरे हुए शौहर के बच्चे हैं तो बेवा को कुल आठवाँ हिस्सा मिलेगा। अगर मरे हुए शौहर की कोई औलाद नहीं है तो बेवा को जायदाद में से कुल एक चौथाई हिस्सा मिलेगा।

### शौहर की जायदाद में से दो या दो से ज्यादा बेवाओं को कितना हिस्सा मिलेगा ?

*दो या उससे अधिक बेवाओं को एक साथ कुल आठवाँ हिस्सा अपने शौहर की जायदाद में से मिलेगा और अगर बच्चे हैं।* अगर मरे हुए शौहर के कोई औलाद नहीं है तो बेवा या बेवाओं को जायदाद में से एक चौथाई हिस्सा मिलेगा।

*खालिद की तीन बेवाएं हैं और जायदाद 80,000/– रूपये की है। खालिद का एक बेटा भी है। हर बेवा का क्या हिस्सा होगा? बेटा मौजूद होने की वजह से बेवाओं को कुल आठवाँ हिस्सा मिलेगा। इस हिस्से पर हर बेवा बराबर की हकदार है।*

अगर खालिद की कोई औलाद न होती तो तीनों बेवाओं को कुल एक चौथाई हिस्सा मिलता। इस हिस्से में से हर बेवा को बराबर का हिस्सा मिलता।

## बेटी

### बेटी का पिता की जायदाद पर कितना हक है ?

*अगर कोई बेटा न हो तो बेटी को बाप की जायदाद का आधा हिस्सा मिलता है और अगर भाई है तो भाई के कुल हिस्से से बहन को आधा हिस्सा मिलता है।*

*अब्दुल्ला और सबा की शादी हुई। उनकी शादी से एक बेटा समीर और बेटी इरम थे। अब्दुल्ला का इन्तकाल हो गया। सबा का इन्तकाल पहले ही हो चुका था। अब्दुल्ला की 90,000/– रूपये की जायदाद थी।*

जो भी हिस्सा समीर को मिलेगा, इरम को उसका आधा हिस्सा मिलेगा।

**याद रहे** :– *मर्द का हमेशा औरत से दुगुना हिस्सा होता है।*

अगर इरम अब्दुल्ला की अकेली औलाद होती, तो भी उसे सारी जायदाद का आधा हिस्सा मिलता।

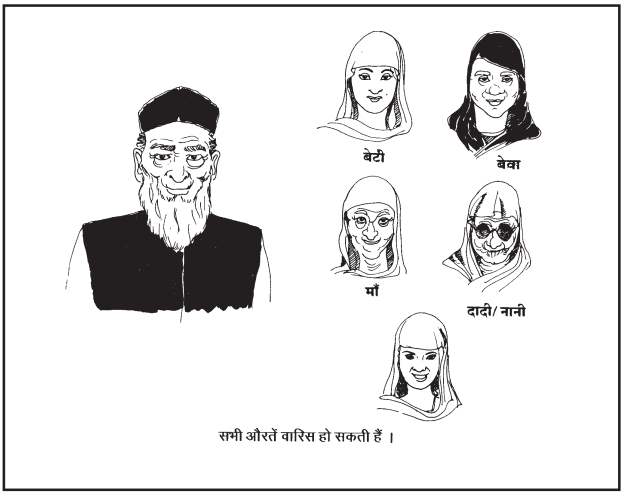

**माँ**

**माँ का बेटे की जायदाद पर कितना हक है ?**

*अगर बेटे की कोई औलाद न हो तो मां को एक तिहाई हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद हों तो छठा हिस्सा मिलेगा।*

*1955 में अशरफ ने मुशरफ से शादी की। शरीयत कानून के हिसाब से 1975 में अशरफ का इन्तकाल हो गया। इन्तकाल के बाद अशरफ के खानदान में थे – उसकी बीवी मुशरफ, माँ जुबैदा, बेटी तसनीस और दो यतीम पोतियाँ रेहाना और रूखसाना। अशरफ की जायदाद की कीमत 1,80,000/– रूपये थी। जायदाद के बंटवारे के सिलसिले में सारे वारिसों में झगड़ा हो गया। झगड़े को तय करने के लिए वारिस अदालत गए। वहां यह तय हुआ कि इस्लामी शरा के मुताबिक :*

❖ माँ जुबैदा को पूरी सम्पति का छठा हिस्सा मिलेगा।

**नानी/दादी**

**नानी/दादी का पोते की सम्पति पर हक :**

*नानी का छठा हिस्सा है नवासे की जायदाद में। लेकिन यह तब हो सकता है अगर नवासे की माँ और नाना जिन्दा न हों।*

*दादी को अपने पोते की जायदाद में छठा हिस्सा तब ही मिल सकता है अगर आप और दादा जिन्दा न हों।*

**मेहर**

**मेहर क्या है ?**

*मेहर इस्लामी निकाह का जरूरी हिस्सा है। यह वह रकम है*

*जो शादी होने पर शौहर बीवी को देता है।*

**मेहर की रकम कब तय की जाती है ?**

*यह रकम निकाह से पहले या निकाह के वक्त तय की जाती है।*

**मेहर कितने किस्म की होती है ?**

❖ *मुअज्जल,*

❖ *मुवज्जल।*

मुअज्जल मेहर वह रकम है जो कि निकाह के वक्त ही बीवी को दी जाती है। इस मेहर को बीवी कभी भी माँग सकती है, चाहे निकाह के वक्त या बाद में।

*मुवज्जल मेहर वह रकम है जो बीवी को तलाक पर मिलती है या तब मिलती है जब शौहर का इन्तकाल हो चुका हो।*

मेहर निकाह का एक अहम हिस्सा है और वो शौहर और उसकी सम्पति पर लागू होता है। बीवी चाहे तो निकाह के बाद इसे कम कर सकती है या दूसरे के हक में छोड़ सकती है। पर छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मेहर के बदले में कोई और समझौता भी किया जा सकता है जैसे सालाना कुछ रूपये तय किये जा सकते हैं।

*जुबैदा के शौहर जावेद बहुत बीमार थे और उनका आखिरी वक्त आ गया था। उसके बेटे सलीम ने कहा, अम्मी, अपना मेहर माफ कर दो ताकि अब्बा सुकून से जा सकें। जुबैदा ने जहनी दबाव और परेशानी में मेहर माफ कर दिया। लेकिन यह मान्य नहीं*

*है। जुबैदा को जावेद की जायदाद में बाकी वारिसों का हिस्सा निकलने के पहले मेहर लेने का हक है।*

**क्या मेहर की रकम का कोई हद कानून में तय है ?**

नहीं! *मेहर की रकम किसी भी हद तक हो सकती है।* शौहर जितनी भी मेहर की रकम देना चाहे, वह दे सकता है। मेहर बीवी की हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए।

सुन्नी मुसलमानों में 10 दीनार से कम मेहर नहीं हो सकता। शियाओं में कोई भी रकम दी जा सकती है।

अगर बाप नाबालिग बेटे की मेहर तय करे तो सुन्नी मुसलमानों में जो रकम बाप तय करता है बेटे को देना पड़ता है। पर शिया मुसलमानों के बेटे के पास बालिग होने पर अगर देने का जरिया नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मेहर पिता को देना पड़ेगा।

**अगर शौहर मेहर देने से इन्कार कर दे, तो क्या उपाय है?**

मेहर की रकम शौहर पर कर्ज माना जाता है अगर शौहर यह रकम न दे तो बीवी अदालत जा सकती है। बीवी के इन्तकाल पर भी अगर यह मेहर की रकम शौहर ना दे तो बीवी के वारिस इस रकम को अदालत के जरिए शौहर से हासिल कर सकते हैं।

**अगर शौहर का इन्तकाल हो जाए और बीवी को उसने जीते जी मेहर न दी हो, तो क्या बीवी को वह रकम मिल सकती है?**

हाँ। *बीवी को जायदाद के हिस्से के साथ मेहर की रकम भी मिलेगी।* बेवा या तलाकशुदा अपने पति के जायदाद का कब्जा ले सकती है। जब तक उसे मेहर की रकम नहीं दी जाए। यह कब्जा जबरदस्ती नहीं हो सकता है।

**ऐसे कब्जे के कुछ उसूल हैं। यानि यह कि :**

- ऐसे कब्जे की जायदाद का *हिसाब रखना* बीवी पर वाजिब है।
- बीवी इस जायदाद को *बेच नहीं सकती है और न ही किसी को दे सकती है।*
- *वह उस जायदाद के किराए और माली फायदे से अपने मेहर की रकम वसूल कर सकती है।*

शादी के लिए मेहर देना ज़रूरी है।

- *यह कब्जे का हक तब खत्म हो जाता है जब बीवी को मेहर की रकम हासिल हो जाती है,* या तब जब वह जायदाद को बेच देती है या जब वह खुद बाकी वारिसों को जायदाद दे देती है।
- *अगर शौहर बीवी को मुअज्जल मेहर मांगने पर न दे तो बीवी उसके साथ रहने से इन्कार कर सकती है।*
- *अगर ऐसी हालत में बीवी शौहर से अलग रह रही हो तो शौहर*

*की जिम्मेदारी है कि बीवी की देख–रेख माली तौर पर करे।*

## नफ्का

*नफ्का वह है जो रकम आदमी अपनी बीवी के रहन–सहन और खाने–कपड़े पर खर्च करता है। यह शौहर की कानूनन जिम्मेदारी है। बीवी अपने शौहर से अपने खर्चे के पैसे हक के तौर पर मांग सकती है। वह न दे तो वह अदालत जाकर अपना हक मांग सकती है।*

### नफ्का की रकम किस हिसाब से तय की जाती है ?

नफ्का की रकम *शौहर की आमदनी* के आधार पर, और *बीवी की जायज जरूरतें और रहन–सहन के तरीके के हिसाब से तय की जाती है।*

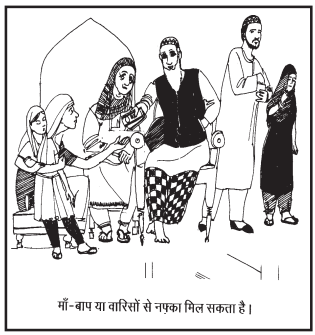
माँ-बाप या वारिसों से नफ्का मिल सकता है।

बीवी को अगर शौहर नफ्का न दे, तो वह अदालत में अर्जी देकर नफ्का मांग सकती है।

*धारा 125 भारतीय दंड संहिता के तहत औरत को अपने शौहर से नफ्का मिल सकता है।*

## वसीयत

### वसीयत क्या है ?

*अपने इंतकाल के बाद अपनी जायदाद के हिस्से बाँटना या पूरी जायदाद को देने को वसीयत कहते हैं।*

### मुसलमान अपनी कितनी जायदाद की वसीयत कर सकता है ?

❖ मुसलमान अपनी जायदाद के *एक तिहाई हिस्से से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता है।* लेकिन अगर किसी मुसलमान औरत का वारिस सिर्फ उसका शौहर होगा और कोई सगा रिश्तेदार नहीं तो वह औरत अपने जायदाद के दो तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकती है।

❖ *यह एक तिहाई का हिसाब तब लगाया जाता है जब दफनाने का खर्च और सारे कर्ज उतारे जा चुके हों।*

जायदाद वसीयत द्वारा वारिसों के नाम छोड़ी जा सकती है।

**क्या एक तिहाई से ज्यादा की वसीयत की जा सकती है ?**

हाँ। *वह कर सकती है। अगर जायदाद का हकदार रजामन्द हो। अगर मियाँ–बीवी अपनी शादी विशेष विवाह कानून के तहत रजिस्टर करवाएँ तो वे जिसे चाहें अपनी पूरी जायदाद की वसीयत कर सकते हैं।*

मुसलमान अपनी वसीयत लिख कर या मुंहजबानी भी कर सकता है।

हाँ, उसमें वसीयत करने का इरादा साफ होना चाहिये। लिखित

वसीयत पक्की होती है इसलिए वसीयत लिखना बेहतर होता है। यह किसी आम कागज पर भी लिखी जा सकती है।

## हिबा

### हिबा क्या है ?

*हिबा एक तरह का तोहफा है। यह तब होता है जब कोई शख्स किसी को कोई चीज या पैसा या जायदाद दे, और लेने वाला शख्स उस चीज या पैसे या जायदाद को कुबूल करे। इसे देने के बदले में कुछ लिया नहीं जाता है।*

### हिबा कैसे होता है ?

*कोई भी बालिक आदमी या औरत जो दिमागी तौर से स्वस्थ हो,* हिबा कर सकता है। लेकिन हिबा करते वक्त *कोई जोर–जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।* अगर कोई परदानशीन औरत हिबा करे तो वह जिस शख्स को हिबा करती है, उसे साबित करना पड़ेगा *कि उस औरत ने अपनी मर्जी से हिबा किया है,* किसी जोर–जबरदस्ती या बहकावे में आकर नहीं।

### हिबा में क्या दिया जा सकता है ?

❖ सभी प्रकार की जायदाद तोहफे में दी जा सकती है।

### कानूनी हिबा के क्या नियम हैं ?

❖ हिबा करते वक्त यह जाहिर करना पड़ता है *कि आप हिबा करना चाहते हैं और किसको हिबा कर रहे हैं।*

औरत अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हिबा कर सकती है।

❖ *हिबा को कुबूल फरमाना जरूरी है,* यानि लेने वाले की तरफ से लेने की मंजूरी होनी चाहिए।

❖ *हिबा दूसरे को दिया जाता है, खुद को नहीं दिया जाता।*

**क्या एक शौहर अपनी बीवी को अपना घर हिबा कर सकता है, जिस घर में वे दोनों एक साथ रह रहे हों ?**

हाँ, बिना खुद घर से निकले भी ऐसा किया जा सकता है। यह जायज हिबा होगा। अगर *कोई शौहर अपनी बीवी को अपना घर हिबा करे और घर की चाबियाँ बीवी को दे दे, तो यह जायज हिबा होगा।*

**क्या हिबा लिखित होना जरूरी है ?**

नहीं। *यह जरूरी नहीं कि हिबा लिखित हो। सिर्फ यह जरूरी है कि हिबा की सारी शराएँ पूरी हों।*

**क्या माँ अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर हिबा ले सकती है?**

नहीं! माँ को कोई हक नहीं है कि वह बच्चे के नाम पर हिबा ले। सिर्फ बच्चे का बाप उसके नाम पर हिबा ले सकता है। अगर बाप का इन्तकाल हो चुका हो तो जो भी कानूनन बच्चे का सरपरस्त है वह बच्चे के नाम पर हिबा ले सकता है।

अगर माँ अपने नाबालिग बच्चे के नाम हिबा करती है तो सिर्फ बच्चे का बाप या कानूनन बच्चे का सरपरस्त उसे कुबूल कर सकता है। नहीं तो यह हिबा मान्य नहीं है।

## क्या हनफी और शिया कानून में कोई फर्क है ?

हाँ। हनफी कानून में शौहर–बीवी के बीच जो हिबा होता है, उसे देने वाला वापस नहीं ले सकता। लेकिन शिया कानून के तहत शौहर–बीवी के बीच का हिबा वापस लिया जा सकता है।

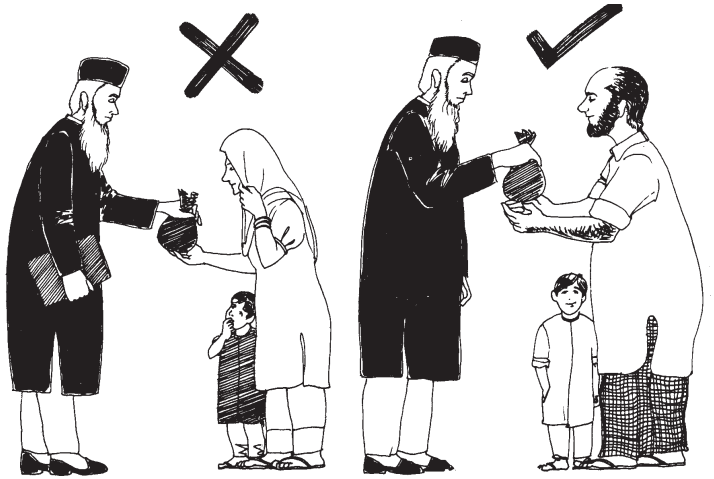

सिर्फ बाप अपने बच्चे के नाम पर हिबा ले सकता है।

## वसीयत कैसे लिखें

a. अपना पूरा नाम लिखें।

b. अपने पिता या पति का नाम लिखें।

c. अपना पूरा पता लिखें।

d. अपनी सम्पति के बारे में विस्तारपूर्वक लिखें।

e. जिन लोगों को आप अपनी सम्पति देना चाहते हैं उनका नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखें।

f. ये जरूर लिखें की वसीयत आप अपनी मर्जी और पूरे होश हवाश में बना रहे हैं।

g. वसीयत बनाने की तारीख लिखें।

h. वसीयत में अपने हस्ताक्षर करें।

i. दो गवाहों को वसीयत पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। उनका नाम और पता वसीयत में लिखा होना चाहिए।

**याद रखें** :– एक वसीयत तब भी काम आती है जब वसीयत बनाने वाले इन्सान की मृत्यु हो जाती है। सम्पति एक के पास से दूसरे के पास नहीं चली जाती क्योंकि वसीयत बन चुकी है।

एक मुसलमानी वसीयत जुबानी या लिखित हो सकती है। कोई स्पष्ट तरीका नहीं है पर वसीयत बनाने का मकसद उससे साफ पता चलना चाहिए। यह बेहद जरूरी होता है अगर वसीयत लिखित रूप में हो। वसीयत एक साधारण पेज पर लिखा जा सकता है।

# 'घरेलू हिंसा' से महिलाओं की सुरक्षा

'घरेलू हिंसा' से **महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005** 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसके अनुसार :–

- ❖ कोई भी महिला जो 'घरेलू संबंधों' में हिंसा की शिकार हो, वह अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।
- ❖ घरेलू संबंधों में यहाँ वे सभी संबंध आते हैं जिनमें कोई महिला किसी और के साथ रहती हो। जैसे कि शादी के बाद, जन्म से, गोद लेने पर या संयुक्त परिवार में रहने वाले। इनमें वह भी शामिल है, जो कानूनन शादी के बिना ही पति–पत्नी के रूप में साथ रहते हो।

इस प्रकार पत्नी, बेटी, माँ या बिना शादी के साथ रहने वाली महिला मित्र इस कानून के अनुसार अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।

## 'घरेलू हिंसा' किसे कहते हैं ?

हमारे समाज में महिलाओं को ऐसे कई हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें घरेलू माहौल में 'आम' या 'मामूली' माना जाता है, लेकिन इस कानून में वह 'घरेलू हिंसा' मानी जा सकती है :–

- ❖ मीना का पति उससे अक्सर मार–पीट करता है।
- ❖ शांता की सास उसे रूप रंग पर ताने देती रहती है।
- ❖ नफीसा बानो के बेटे ने उससे सारी जायदाद और पैसे ले लिए हैं और अब उसकी बीमारी का इलाज कराने से भी

इन्कार करता है।

- ❖ सुनीता के चाचा उससे छेड़छाड़ करते रहते हैं और उसे अपने पास बैठने को मजबूर करते हैं।
- ❖ यासमीन स्कूल में पढ़ा कर जो भी कमाती है, उसका पति उसके पास नहीं रहने देता।
- ❖ रूपा का भाई अक्सर शराब पीकर उसे धमकाता रहता है कि उसे घर से निकाल देगा, क्योंकि वह घर पर बोझ बनी हुई है।
- ❖ शाहिदा का पति उसे मायके नहीं जाने देता।

ऊपर दिए सभी उदाहरण 'घरेलू हिंसा' माने जा सकते हैं और यह सभी महिलाएँ या उनके लिए कोई और भी अदालत में इसे रोकने के लिए प्रार्थना कर सकता है।

**क्या अदालत के दखल देने पर इस प्रकार हिंसा करने वालों को जेल भी हो सकती है ?**

गंभीर मामलों में आरोपियों को जेल भी भेजा जा सकता है। यह कानून इसीलिए बनाया गया है कि ऊपर बताए गए माहौल में कोई भी महिला सुखी और सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकती। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि संबधों को आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता न ही उसका घर से अलग होना ही आसान होता है। ऐसे में यह कानून उसके माहौल में सुधार का एक मौका देता है। अदालत हिंसा करने वालों को सुरक्षा आदेश के माध्यम से रोक सकती है। फिर भी अगर हालात में बदलाव नहीं होता तो आगे भी कार्यवाही की जा सकती है।

**ध्यान दें** :– इस कानून के लागू हो जाने के बाद भी, गंभीर

अपराधी हिंसा की शिकार महिला आरोपियों के खिलाफ अपराधी हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है। पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने से इस कारण इन्कार नहीं कर सकती कि उसे पहले अदालत से **सुरक्षा के आदेश** की प्रार्थना करनी चाहिए थी।

## आरोपियों के विरूद्ध क्या आदेश हो सकते हैं ?

1. *आरोपी/आरोपियों को हिंसा या उत्पीड़न करने वाला व्यवहार तुरंत बंद करने को कहा जा सकता है, साथ ही उनको उकसाने वालों और मदद करने वालों को भी रोकने का आदेश दिया जा सकता है।*

   - ❖ रूही का पति राशिद उसके साथ मार–पीट करता है, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसकी शिकायत किया करती है और राशिद को 'उसे वश में रखने' को उकसाती रहती है। ऐसे में अदालत राशिद और उसकी माँ को रूही के साथ ऐसा बर्ताव रोकने का आदेश दे सकती है।

   - ❖ रानी मायके चली आई है, क्योंकि उसका पति रवि उसे मार–पीट करने की धमकी देता रहता था। अब वह उसके घर (मायके) और जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, उसके चक्कर लगाने लगा है। वह उसके आगे–पीछे लगा रहता है और गालियाँ और धमकियाँ देता है। जब लोग उसे रोकते हैं, तो कहता है कि मेरी बीवी है उससे मिलने का मुझे पूरा अधिकार है। जब उसके साले ने उसे रोका तो वह उसे भी धमकियाँ देने लगा।

2. अदालत, आरोपी/आरोपियों को वह घर बेचने से रोक सकती है जहाँ वह महिला रहती हो; उसे घर से निकालने से रोक सकती है। आरोपियों को उस घर या घर के हिस्से में जाने से भी रोका जाय। उस घर में जाने पर रोक लगा सकती है, या फिर उस महिला के रहने के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम करने का आदेश दे सकती है।

3. आरोप लगाने वाली महिला को बच्चों का संरक्षण दे सकती है।

❖ जाहिरा ने अपने शौहर जलाल का घर छोड़ दिया क्योंकि वह अक्सर उससे मार–पीट करता था। उसने अदालत से गुहार की जिसने उसके पति को मार–पीट से बाज आने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद जलाल उनकी बारह साल की बच्ची को स्कूल से ले गया। ऐसे में अदालत जाहिरा को बच्ची को रखने का हक दे सकती है।

4. हिंसा के आरोपी को उससे हुए किसी भी प्रकार की हानि के लिए मुआवजा, हर्जाना, इलाज का खर्चा और रहने का खर्चा देने का आदेश दे सकती है।

7. शिकायत करने वाली महिला और आरोपी दोनों को काउँसलिंग (सलाह) के लिए भेज सकती है। कोई प्रशिक्षित व्यक्ति उन दोनों को अपनी समस्याओं को समझने और शांति के साथ रहने में उनकी सहायता करे।

**महिलाएँ ऐसा आदेश कैसे पा सकती है ?**

महिला को 'सुरक्षा अधिकारी' के पास अपनी शिकायत करनी होगी जिसे इस काम के लिए हर जिले में नियुक्त किया जाएगा। वह मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। तब अदालत शिकायत में आरोपी व्यक्ति को पेश होने का आदेश करेगी।

सुरक्षा अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिला की इस मामले में हर प्रकार से मदद करे; और अदालत के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करें। अदालत में यह प्रार्थना सीधे भी की जा सकती है; जिसे की प्रपत्र–1 (फार्म–1) में करना होगा।

**क्या हिंसा की शिकार महिला को खुद ही शिकायत करनी होगी और फार्म भरना होगा ?**

महिला खुद या कोई दूसरा जिसे हिंसा की जानकारी हो, उसके लिए शिकायत कर सकता है।

**यदि आदेश के बाद भी वह अपने गलत व्यवहार को नहीं बदलता तो क्या किया जाएगा ?**

आरोपी यदि आदेशों के बाद भी नहीं बदलता तो उसे कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

'सुरक्षा अधिकारी' के अपनी जिम्मेदारियों का पालन न करने पर उसे भी कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

प्रकाशक

**'न्याय सदन'**

**झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार**

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्रोत : नई दिल्ली